(3)

न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

M. Rev No.-01/2023

शाहिद अनवर

बनाम

सीतारा परवीन एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

यह रिविजनवाद, रिविजनकर्त्ता शाहिद अनवर, पिता–स्व0 हाजी यार मोहम्मद, सा0–थानापाड़ा, थाना–पाकुड (नगर), जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय के दाखिल खारिज अपील वाद सं0–01/2021–22 में दिनांक–28.09.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध (1) राज्य सरकार एवं (2) सीतारा परवीन, पति–स्व0 रिजवान जफर, सा0–थानापाडा, थाना–पाकुड (नगर), जिला–पाकुड को पक्षकार बनाते हुए दाखिल किया गया है।

मामला संक्षेप में यह है कि अंचल पाकुड़ के मौजा चकबलरामपुर नं0–120 के जमाबंदी सं0–31 के दाग सं0–111 अन्तर्गत आंशिक रकवा 00–13–10 धुर भूमि का नामान्तरण अपने नाम से करने हेतु शाहिद अनवर (इस वाद के रिविजनकर्त्ता) द्वारा अंचल कार्यालय, पाकुड़ में आवेदन दाखिल किया जाता है। दाखिल आवेदन पर ऑन लाईन दाखिल खारिज वाद सं0–2347/2020–21 प्रारम्भ हुआ एवं उक्त वाद में दिनांक 24.11.2020 को पारित आदेश द्वारा प्रश्नगत भूमि का नामान्तरण शाहिद अनवर के पक्ष में किया गया। अंचल अधिकारी, पाकुड़ के उक्त आदेश के विरूद्ध सीतारा परवीन (इस वाद की उत्तरवारी नं0–02) के द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय (निम्न न्यायालय) में अपील वाद दायर किया गया जिसे दाखिल खारिज अपील वाद सं0–01/2021–22 पंजीकृत करते हुए उक्त वाद में दिनांक 28.09.2022 को पारित आदेश द्वारा अंचल अधिकारी, पाकुड़ के आदेश को निरस्त (Set-aside) कर दिया गया। यह रिविजन वाद निम्न न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस को विस्तारपूर्वक सुना गया।

रिविजनकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत दाग सं0–111 अन्तर्गत कुल रकवा 03–19–17 धुर भूमि के खतियानी रैयत हाजी दिलावर हुसैन के

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की क्रम संख्या और तारीख
1	2	1

द्वारा अपने पुत्र एवं पौत्र 1. नेकनाम अली 2. मो0 हाफीजूद्दीन एवं 3. यार मोहम्मद को निबंधित हिबा बील एवज सं0–2582/69 द्वारा दान कर दिया गया था। प्रश्नगत भूमि पंजी–।। में दान प्राप्तकर्त्ता के नाम से दर्ज है। बाद में उक्त भूमि तीन हिस्सों में बंटवारा हुआ एवं यार मोहम्मद (रिविजनकर्त्ता के पिता) को 01–06–12⅓ धुर हिस्सा में प्राप्त हुआ। हिस्से में प्राप्त उक्त भूमि में से ही यार मोहम्मद द्वारा निबंधित विक्रय केवाला सं0–33/19 दिनांक 05.01.2019 द्वारा अपने पुत्र शाहिद अनवर को प्रश्नगत भूमि का विक्रय किया गया एवं रिविजनकर्त्ता के पक्ष में नामान्तरण भी सम्पन्न है। विपक्षी द्वारा जिस अनिबंधित बंटननामा के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर दावा किया जा रहा है वो त्रुटिपूर्ण दस्तावेज है। तथाकथित बंटननामा में सभी पक्षकारों का हस्ताक्षर अंकित नहीं है। बंटवारा की गई भूमि की चौहदी भी अंकित नहीं है। उक्त बंटननामा का कानून की नजर में कोई मान्यता नहीं है। प्रश्नगत भूमि पर रिविजनकर्त्ता का दखल एवं कब्जा है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा रिविजनकर्त्ता के पक्ष में किया गया नामान्तरण बिल्कुल सही है एवं इसमें कोई त्रुटि नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा अनिबंधित बंटननामा के आधार पर अपना निर्णय दिया गया है। जो त्रुटिपूर्ण है। उनके द्वारा रिविजन आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि दिलावर हुसैन की थी। दिलावर हुसैन द्वारा अपने पुत्र नेकनाम अली एवं पौत्र मो0 हफीजुद्दीन तथा यार मोहम्मद को प्रश्नगतभूमि के अलावे अन्य दागों की भूमि भी निबंधित हिबा बिल एवज से दान किया गया था। बाद में वर्ष 2014 में मो0 हाफीजुद्दीन के पुत्रों, यार मोहम्मद एवं नफीस अख्तर के बीच सम्पत्ति का आपसी बंटवारा हुआ। बंटवारा में प्रश्नगत दाग सं0–111 अन्तर्गत रकवा 01–08–07 धुर जमीन रिजवान जफर (विपक्षी के पति) को प्राप्त हुई। उक्त हिस्से में प्राप्त जमीन में से ही यार मोहम्मद द्वारा अपने पुत्र शाहिद अनवर को प्रश्नगत भूमि बेच दिया गया। बंटवारा हो जाने के बाद भूमि रिजवान जफर की हो गई तथा आगे रिजवान जफर या उसके उत्तराधिकारी ही प्रश्नगत भूमि का हस्तान्तरण कर सकते है। परन्तु इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रिजवान जफर की भूमि बेच दी गई जो कानून की दृष्टि में गलत है। बंटवारा के बाद से ही प्रश्नगत भूमि पर रिजवान जफर का दखल रहा एवं उनकी मृत्यु के बाद सीतारा परवीन का दखल–कब्जा रहा एवं वर्त्तमान में भी दखल–कब्जा है। भूमि का Land Possesion Certificate भी विपक्षी के पक्ष में अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा निर्गत किया गया है। फिर उसी अंचल अधिकारी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर रिविजनकर्त्ता का दखल कैसे मान

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

लिया गया। बंटवारा की तिथि 11.10.2014 है जबकि रिविजनकर्त्ता द्वारा दिनांक 05.01.2019 को भूमि का क्रय किया गया। पारिवारिक बंटवारा मौखिक भी हो सकता है। निम्न न्यायालय द्वारा तथ्यों की बिल्कुल सही विवेचना की गई है। उनके द्वारा रिविजन आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया।

सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

रिविजनकर्त्ता का दावा है कि विपक्षी द्वारा दाखिल अनिबंधित बंटननामा में सभी पक्षकरों का हस्ताक्षर नहीं है अतः वैधिक रूप से इसकी कोई मान्यता नहीं है। अनिबंधित बंटननामा का अवलोकन किया गया। उक्त बंटननामा में संबंधित सभी पक्षकारों का हस्ताक्षर अंकित नहीं है जबकि पारिवारिक बंटननामा में भूमि के सभी वैध उत्तराधिकारियों का हस्ताक्षर आवश्यक है। अतः इसे पूर्ण बंटननामा नहीं माना जा सकता है। इसी बंटननामा में यह शर्त है कि रिजवान जफर (विपक्षी के पति) यार मोहम्मद को 00–14–00 धुर भूमि वापस करेंगे। बंटवारा के उक्त शर्त को भी पूरा नहीं किया गया है। इस प्रकार विपक्षी बंटननामा के उक्त शर्त को नहीं मानते है। बंटननामा के एक अंश को मानना एवं दूसरे अंश को नहीं मानना यह दर्शाता है कि विपक्षी भी बंटननामा से सहमत नहीं है। अतः बंटननामा के आधार पर भूमि का दावा उचित नहीं है।

रिविजनकर्त्ता का यह दावा हैं कि पंजी–।। रैयतों नेकनाम अली, मो0 हाफीजुद्दीन एवं यार मोहम्मद के बीच आपसी बंटवारा हुआ था एवं प्रश्नगत दाग में यार मोहम्मद को रकवा 01–06–12⅓ धुर भूमि प्राप्त हुआ था। परन्तु उक्त बंटवारा संबंधी कोई कागजात/दस्तावेज साक्ष्य स्वरूप इस न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है, जिससे उनका यह दावा प्रमाणित नहीं होता है। स्पष्टतः जब भूमि का बंटवारा विधिवत हुआ ही नहीं है तो किसी खास हिस्से पर किसी भी पक्ष का दावा स्वीकार किया जाना उचित नहीं है। प्रश्नगत भूमि वर्त्तमान में भी संयुक्त सम्पत्ति है। जहाँ तक प्रश्न शाहिद अनवर के पक्ष में किए गए नामान्तरण का है तो इसमें विहित प्रक्रिया का अनुपालन अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा नहीं किया गया। 16 आना रैयतों के अतिरिक्त, भूमि के हित सम्बद्ध व्यक्ति को नोटिस निर्गत नहीं किया गया। साथ ही दखल–कब्जा के संदर्भ में भी आवश्यक जॉच नहीं की गई। भूमि का Land Possesion Certificate सीतारा परवीन के पक्ष में निर्गत है। ऐसे में शाहीद अनवर का दखल किस आधार पर

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

माना गया यह स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार अंचल अधिकारी, पाकुड़ एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पाकुड़ दोनों का आदेश त्रुटिपूर्ण है। यह मामला वस्तुतः भूमि के बंटवारे से संबंधित है एवं उभय पक्ष प्रश्नगत भूमि पर अपना दावा कर रहे है। स्वत्व, बंटवारा का विचारण हेतु यह न्यायालय सक्षम नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय के दाखिल खारिज अपील वाद सं0–01/2021–22 में दिनांक–28.09.2022 को तथा अंचल अधिकारी, पाकुड़ के दाखिल खारिज वाद सं0–2347/2020–21 में दिनांक– 24.11.2020 को पारित आदेश को निरस्त (Set-aside) किया जाता है। उभय पक्ष यदि चाहें तो स्वत्व/बंटवारा के लिए संक्षम न्यायालय की शरण में जा सकते है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।

लेखापित एवं संशोधित।

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

Seen
S S Banerjee
Adv.
26-02-2024

26/2/24
26/02/2024

Digitally signed by MRITYUNJAY BARANWAL KUMAR
Date: 2024.07.19 10:55:59 +05:30
Location: 192.168.45.62

Scanned with OKEN Scanner